8/3/17 - पत्रावली पेश हुई वादी पत्रावली उपस्थित
वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार
किया जाकर, डिक्री किया जाता है। डिक्री
नियम मुताबिक से लिखकर जारी [illegible] खारिज
किया गया। [illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली
नियत तकमील होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

[illegible signature]
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
दूदू

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– **श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 189/2016
वाद दायरी दिनांक : 26/12/2016
निर्णय दिनांक : 08/03/2017

बन्नाराम पुत्र मूलचन्द उम्र 46 वर्ष जाति जाट निवासी धमाणा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

-- वादी

बनाम

1. कमला पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी धमाणा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. भूली देवी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी धमाणा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. गलोल देवी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी धमाणा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. सुरेश पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी ककराला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
5. बंशी पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी ककराला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
6. कौशल्या पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी ककराला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
7. अर्जून पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी पिनाच तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
8. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – **श्री नारायणसहाय पारीक**
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री प्रमोद कुमार जैन
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7

प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

निर्णय दिनांक 08/03/2017

Scanned by CamScanner

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणात्मक स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी जो कि वाके ग्राम धमाणा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर के स्थायी निवासी है तथा वादी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम धमाणा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है, जिस पर वादी स्वर्गीय बरजी पत्नि रामचन्द्र के जीवन काल से ही काबिज काश्त है। स्वर्गीय बरजी पत्नि रामचन्द्र द्वारा अपनी सम्पूर्ण खातेदारी भूमि जरिये वसीयत वादी को दे दी थी जो खातेदारी भूमि को परिशिष्ट वाईज दर्शाया है :–

परिशिष्ट–ए

खाता सं. नया	खाता सं. पुराना	खसरा नम्बर	रकबा
128	112	1523	0.5200 है0.
		1857	0.1800 है0.
		2130 / 1529	0.2300 है0.
कुल किता 3			0.9300
जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है			

परिशिष्ट–बी

खाता सं. नया	खाता सं. पुराना	खसरा नम्बर	रकबा
130	114 115 117	581 / 2079	0.4300 है0.
		599	0.3900है0.
		1851	0.2300 है0.
		1940	0.7400 है0.
		1950	0.5600 है0.
		1985	1.1100 है0
		1987	1.2100 है0.
		2044	1.3400 है0.
कुल किता 8			6.1500 है0.
जो वर्तमान में प्रतिवादगण के नाम दर्ज है।			

Scanned by CamScanner

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणात्मक स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी जो कि वाके ग्राम धमाणा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर के स्थायी निवासी है तथा वादी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम धमाणा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है, जिस पर वादी स्वर्गीय बरजी पत्नि रामचन्द्र के जीवन काल से ही काबिज काश्त है। स्वर्गीय बरजी पत्नि रामचन्द्र द्वारा अपनी सम्पूर्ण खातेदारी भूमि जरिये वसीयत वादी को दे दी थी जो खातेदारी भूमि को परिशिष्ट वाईज दर्शाया है :—

परिशिष्ट—ए

खाता सं. नया	खाता सं. पुराना	खसरा नम्बर	रकबा
128	112	1523	0.5200 है0.
		1857	0.1800 है0.
		2130 / 1529	0.2300 है0.
कुल किता 3			0.9300
जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है			

परिशिष्ट—बी

खाता सं. नया	खाता सं. पुराना	खसरा नम्बर	रकबा
130	114	581 / 2079	0.4300 है0.
	115	599	0.3900है0.
	117	1851	0.2300 है0.
		1940	0.7400 है0.
		1950	0.5600 है0.
		1985	1.1100 है0
		1987	1.2100 है0.
		2044	1.3400 है0.
कुल किता 8			6.1500 है0.
जो वर्तमान में प्रतिवादगण के नाम दर्ज है।			

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–सी

खाता सं. नया	खाता सं. पुराना	खसरा नम्बर	रकबा
28	30	286	0.2900
		287	0.1900
		288	0.1700
		289	0.7600
		290	0.6500
		291	0.6600
		292	0.1900
		293	0.0100
		294	0.1700
		295	0.2900
		296	0.6300
		297	0.6100
		298	0.5100
		299	0.4700
		300	0.3200
		301	0.3400
		2085 / 284	0.0700
		2086 / 285	0.0600
कुल किता 18			6.3900 है0
73 / 505 हिस्सा प्रविवादीगण के नाम दर्ज है।			

परिशिष्ट–डी

खाता सं. नया	खाता सं. पुराना	खसरा नम्बर	रकबा
29	31	284	0.3700 है0
		285	0.3600 है0
कुल किता 2			0.7300 है0
प्रतिवादीगण का 1 / 5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।			

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–ई

खाता सं. नया	खाता सं. पुराना	खसरा नम्बर	रकबा
30	32	319	0.2000 है0
		320	0.2000 है0
		321	0.2000 है0
		322	0.2000 है0
		323	0.2100 है0
	कुल किता 5		1.0100 है0
प्रतिवादीगण के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।			

परिशिष्ट–एफ

खाता सं. नया	खाता सं. पुराना	खसरा नम्बर	रकबा
31	33	2091/298	0.3300 है0
		2092/299	0.5800 है0
		2093/300	0.3500 है0
		2094/301	0.3700 है0
	कुल किता 4		1.6300 है0
प्रतिवादीगण के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।			

स्वर्गीय बरजी देवी पत्नि रामचन्द्र ने वादी के हक में अपनी सम्पूर्ण खातेदारी भूमि जरिये वसीयत वादी को सम्भला दी थी तथा खातेदारी भूमि पर वादी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादीगण ने बरजी के स्वर्गवास के पश्चात विरासत का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया जबकि दिनांक 25/01/2016 को वसीयत की सम्पूर्ण जानकारी प्रतिवादीगण को थी प्रतिवादीगण ने अपने हस्ताक्षर उक्त वसीयत पर किये है जिसके पश्चात भी राजस्व अधिकारीयों से मिलकर नामान्तकरण दिनांक 20/09/2016 को खुलवा लिया जो निम्न कारणो से निरस्तनीय है। (क) यह कि उक्त आराजीयात स्वर्गीय रामचन्द्र की थी तथा रामचन्द्र के स्वर्गवास के पश्चात विरासत का नामान्तकरण बरजी देवी के हक मे खुला उस समय स्वर्गीय रामचन्द्र के वारिशान के हकत्याग मृतक बरजी देवी के हक में छोड दिया था जिससे

Scanned by CamScanner

नामान्तकरण संख्या 20/9/2016 निरस्त किये जाने योग्य है। (ख) यह कि स्वर्गीय बरजी देवी ने अपने हक में आयी भूमि की वसीयत वारीसान के समक्ष वादी के हक में कर दी जिसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रतिवादीगण को है उसके पश्चात गलत रूप से जो नामान्तकरण खुलवाया वह निरस्त किये जाने योग्य है। (ग) यह कि विरासत के नामान्तकरण खोलने से पूर्व वादी को कोई जानकारी नहीं दी एवं नही सूचना भिजवाई गई जबकि वादी काबिज काश्त है। (घ) यह कि नामान्तकरण खोलने से पूर्व किसी भी प्रकार की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा वादी को नहीं दी एवं नहीं ग्राम के वार्ड पंच से जानकारी मांगी जिससे भी नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अभी वर्तमान उन्हालू फसल में वादी ने उक्त आराजीयात में चना, सरसो की फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर मौजूद है। अभी हाल ही में दिनांक 24/10/2016 को कुछ अजनबी व्यक्ति आये एवं ऐलानियॉ धमकी दी कि उकत आराजीयात को हमने जरिये इकरारनामा क्रय किया है तो वादी को आश्चर्य हुआ कि जमीन की वसीयत मेरे हक में है कब्जा मेरा है तो ऐसा कैसे सम्भव हैं वादी ने जमाबंदियों की नकल ली तो ज्ञात हुआ तथा विरासत के नामान्तकरण की जानकारी हुयी। इसलिये उक्त वाद पेश किया।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री इस अमर फरमाई जावें कि विवादग्रस्त आराजी वर्णित परिशिष्ट ए से एफ तक में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि से हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादी के कब्जे काश्त में दखल बाजी न करें न अन्य से करावें। निर्णय एवं डिक्री की पालनार्थ तहरीर तहसील मौजमाबाद को भिजवायी जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जाकर पालना रिपोर्ट मंगवायी जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 04/01/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से श्री प्रमोद कुमार जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

Scanned by CamScanner

दिनांक 09/01/2017 को वादी ने दस्तावेज सूची किता–1 पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी द्वारा गवाह वादी पी.डब्ल्यू 1 बन्नाराम, पी.डब्ल्यू 2 मूलचन्द, पी.डब्ल्यू 3 गोपाल के शपथ–पत्र पेश हुये जो शामिल पत्रावली किये जाकर गवाहों के बयान लिये गये।

दिनांक 23/01/2017 को वादी की ओर से गवाह वादी पी.डब्ल्यू 4 श्योजीराम, पी.डब्ल्यू 5 रामनिवास, पी.डब्ल्यू 6 रूपनारायण के शपथ–पत्र पेश हुये जो शामिल पत्रावली किये जाकर गवाहों के बयान लिये गये। वकील वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही कर बहस करना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी ग्राम धमाणा कुल किता–5, सत्यप्रतिलिपी नामान्तरकरण किता–1, फोटो प्रति वसीयत किता–1, साक्ष्य गवाहान आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत से 2069 से 2072 के खाता संख्या 128, 130, 28, 29, 30, 31 में पूर्व में खातेदारी बरजी धर्मपत्नी रामचन्द्र, जाति जाट सा0 देह के नाम से दर्ज है, जो जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 642 दिनांक 20/09/2016 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम से दर्ज हुयी हैं। वसीयत पत्र दिनांक 25/01/2016 के अनुसार मृतक खातेदार बरजीदेवी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की वसीयत वादी के हक में किया जाना पाया जाता है, वसीयत में गवाह के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के अंगूठा निशानी भी हैं। वसीयत के आधार पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम से दर्ज आराजी की खातेदारी घोषणा चाही है, इस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने राजीनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार कर अपने नाम दर्ज आराजीयात का वादी का खातेदार घोषित किये जाने बाबत सहमति प्रकट की हैं तथा साक्ष्य गवाहान पी.डब्ल्यू 1 लगायत पी. डब्ल्यू 6 ने भी वादग्रस्त आराजीयात बरजीदेवी की होना, बरजीदेवी द्वारा अपने जीवनकाल में वादी के हक में वसीयत निष्पादित करना एवं बरजीदेवी की मृत्यु के पश्चात से ही वादी का कब्जा काश्त होने के तथ्य प्रकट किये है, जिससे उपरोक्त विवेचन उपरान्त वादी

Scanned by CamScanner

अपना वाद–पत्र साबित करने में सफल रहा है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र राजीनामा के जरिये डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 128 के आराजी खसरा नम्बर 1523, 1857, 2130/1529 कुल किता 03 कुल रकबा 0.9300 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 130 के आराजी खसरा नम्बर 581/2079, 599, 1851, 1940, 1950, 1985, 1987, 2044 कुल किता 08 कुल रकबा 6.1500 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 30 के आराजी खसरा नम्बर 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 2085/284, 2086/285 कुल किता 18 कुल रकबा 6.39 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 29 के आराजी खसरा नम्बर 284, 285 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7300 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 30 के आराजी खसरा नम्बर 319, 320, 321, 322, 323 कुल किता 05 कुल रकबा 1.0100 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 31 के आराजी खसरा नम्बर 2091/298, 2092/299, 2093/300, 2094/301 कुल किता 04 कुल रकबा 1.6300 हैक्टेयर वाके ग्राम धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का नाम हजफ किया जाकर वादी को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08/03/2012 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर, राज0।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्रा

राज. पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : ...

डिग्री मुकद्दमा इब्तदाई

(आ. 20 रूल 6-7 जाब्ता माल...)

अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

नाम श्री तिलोक चन्द मीणा, आर.ए.एस.

नाम मुद्दई मंगल पुत्र मूलचन्द उम्र 46 वर्ष बनाम 1. कमला पत्नी रामचन्द्र, 2. मूली देवी जाट नि० धमाणा

दावा बाबत दोषमालिक व स्थाई निषेधाज्ञा 3. गोलीदेवी पुत्रीगण रामचन्द्र

मुकदमा न. 189/2016 4. ... 5. ... 6. ... 7)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री नारायण सहाय पारीक

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री प्रमोद कुमार जैन

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर ... है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का वाद आंशिक स्वीकार डिग्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता नं. 128 की आराजी ख०नं. 1523, 1857, 2130/1529 कुल किता 03 रकबा 0.9300 हैक्टेयर, खतौनी नं. 130 की आराजी ख०नं. 581/2079, 1853, 1940, 1950, 1985, 1987, 2044 कुल किता 08 कुल रकबा ...00 है०, खतौनी नं. 30 की आराजी ख०नं. 286, 287, 288, 289, 290*

खर्चा मुकदमा ... मुद्दई ... अदा करेगा ...

... ... अदा करे

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/03/2017 को ...

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
... अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
... कालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
... सबूत			महन्ताना वकील		
... वकील			खर्चा गवाहान		
...हान			फीस कमिश्नर		
...श्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...राय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

...र्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

6) पि० घासाराम, जाति- जाट, नि० कालवाला, तह० मौजमाबाद
7. अर्जुन पुत्र गोविन्दराम जाति- जाट नि० पिनाच तह० फागी, जिला- जयपुर राज०
8. तहसीलदार, तह० मौजमाबाद, जिला- जयपुर राज०

प्रतिवादीगण

* 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 2085/284, 2086/285 कुल किता 18 कुल रकबा 6.39 हे०, खतौनी नं. 29 की आराजी ख.नं. 284, 285 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7300 हे०, खतौनी नं. 30 की आराजी ख.नं. 319, 320, 321, 322, 323 कुल किता 05 कुल रकबा 1.0100 हे०, खतौनी नं. 31 की आराजी ख.नं. 2091/298, 2092/299, 2093/300, 2094/301 कुल किता 04 कुल रकबा 1.6300 हे० वाके ग्राम धमाणा, तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर में प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 का नाम हटा किया जाकर वादी को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
दूदू

Scanned by CamScanner